।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

:: दिनांक 25.08.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 25.08.2026 को महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

1. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री गोविन्द प्रसाद, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री दिलबाग सिंह, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदी जिन्हें खुला बंदी शिविर में रहते हुए इनके द्वारा कदाचार किये जाने के कारण इन्हें जेल दाखिल कर दिया गया अथवा खुला बंदी शिविर से फरारी उपरान्त पुलिस द्वारा पुनः गिरफ्तार कर जेल दाखिल करवाया गया, के प्राप्त 06 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन 06 प्रकरणों का समिति स्तर से परीक्षण किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

निम्नांकित दण्डित बंदियों के खुला बंदी शिविर में निरूद्धीकरण के दौरान कदाचार किये जाने एवं खुला बंदी शिविर से फरार होने पर इनके द्वारा राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर समिति द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार इनका खुला बंदी शिविर आंवटन निरस्त कर इन्हें सजा भुगताने हेतु मूल कारागृह पर भिजवाये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुशंषा की जाती है, जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	संजय सिंह पुत्र मानपाल सिंह	के.का. श्रीगंगानगर	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर बंदी द्वारा बं.खु.शि. कृषि अनुसंधान केन्द्र श्रीगंगानगर पर महिला बंदी मुन्नी एवं सिमरन के साथ अभद्र व्यवहार एवं परेशान करने व महिला बंदी से गलत हरकत किये जाने की संभावना के कारण बंदी संजय को दिनांक 19.05.2026 को के.का.श्रीगंगानगर में जेल दाखिल कर दिनांक 10.07.2026 को औपचारिक चेतावनी के जेल दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण।
2.	बलराम उर्फ गल्लू पुत्र हनुमान	बं.खु.शि.अजमेर	बं.खु.शि.अजमेर में प्रातः काल श्रमदान करने से मना करना एवं अन्य साथी बंदी पन्ना राम पुत्र श्योजी के साथ झगड़ा करना तथा आर.ए.सी. कानिस्टेबल राजेन्द्र के साथ मुहजोरी करना एवं फावड़े से हमला करने का प्रयत्न करना, गिनती में देरी से आने पर तथा बंदी का बंदी खुला शिविर में रहने वाली महिलाओं के प्रति व्यवहार ठीक नही है। महिलाओं को घूरना है व बंदी किसी मादक पदार्थ का नशा करने पर दिनांक 19.07.2026 को 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किये जाने के कारण।
3.	मोहननाथ पुत्र पदमनाथ	के.का.बीकानेर	बं.खु.शि.बीछवाल मे सजा भुगतने के दौरान बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश एन. आई.एक्ट प्रकरण 02 बीकानेर के प्रकरण संख्या 48/2026 में दिनांक 03.08.2026 को प्रोडक्शन से जे.सी. वारण्ट जारी किये जाने पर बंदी को दिनांक 03.08.2026 को जेल दाखिल किये जाने के कारण।
4.	मोहनलाल उर्फ राजेश पुत्र मदनदास	के.का.जयपुर	बं.खु.शि.सांगानेर से दिनांक 24.08.2025 को फरार होने पर पुलिस थाना लालकोठी जयपुर में एफ.आई.आर. 161/2025 धारा 224 आईपीसी दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 02.08.2026 को के.का.जयपुर में जेल दाखिल किये जाने के कारण।

ओसिद (1)14 ए.

2. अग्रेषित प्रकरण का विवरण :-

निम्नांकित दण्डित बंदियों के खुला बंदी शिविर में रहते हुए इनके द्वारा कदाचार किये जाने एवं बंदी खुला शिविर से फरारी उपरान्त इन्हें कारागृह में जेल दाखिल किये जाने पर इनके प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार कर इन बंदियों के प्रकरण में निम्न से आक्षेपों की पूर्ति करवाकर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जाने एवं इन्हें सजा भुगताने हेतु मूल कारागृह पर भिजवाये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	आक्षेप जिसकी पूर्ति की जानी है
1.	सुरेश पुत्र नरसिंह	के.का.जोधपुर	बंदी के बं.खु.शि.सांगानेर से दिनांक 15.08.2025 को सांयकाल रॉल कॉल से अनुपस्थित होने पर दिनांक 16.08.2025 को धारा 151 आई.पी.सी. में बंदी को पुलिस द्वारा रास्ते में गिरफ्तार कर के.का.जयपुर में जेल दाखिल किया गया। उक्त कृत्य के लिए बंदी को जेल दण्ड क्यों नही दिया गया की रिपोर्ट और अब नियमानुसार जेल दण्ड दिये जाने की रिपोर्ट सहित अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर/जोधपुर के मार्फत प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने हेतु।
2.	पूरणमल पुत्र अशोक	के.का.जयपुर	अधीक्षक के.का.जयपुर से प्रकरण दिनांक 31.08.2026 तक प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(अशोक राठौड़)	(विक्रम सिंह)	(गोविन्द प्रसाद)	(दिलबाग सिंह)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।
:: दिनांक 25.08.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अन्तर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 25.08.2026 को महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

1. श्री विक्रम सिंह, — सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
2. श्री गोविन्द प्रसाद, — सदस्य
   शासन उप सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
3. श्री दिलबाग सिंह, — सदस्य
   मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
4. श्री जगमोहन मित्रुका, — सदस्य
   उप विधि परामर्शी,
   महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 73 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन 73 प्राप्त प्रकरणों का समिति स्तर से परीक्षण किया जाकर गुण अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-4 (ख)(ग) के तहत निम्नाकिंत बंदियों को पात्र पाये जाने पर समिति द्वारा इन बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:

(अ) सामान्य स्वीकृत प्रकरण

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	चन्द्रप्रकाश पुत्र भैरूलाल	के.का.जोधपुर	-
2.	अनिल उर्फ भाया पुत्र श्री चम्पालाल	के.का.जोधपुर	परिजनों द्वारा बंदी के भरण पोषण व देखभाल का शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
3.	अनेक उर्फ अनिल पुत्र रतन सिहं	के.का.कोटा	

4.	शंकरलाल माली पुत्र पन्नालाल	के.का.उदयपुर	–
5.	रामेश्वर उर्फ छोटू पुत्र मानसिहं	के.का.कोटा	–
6.	मुकेश कुमार पुत्र श्रवण	के.का.बीकानेर	–
7.	मदनलाल पुत्र पप्पुराम	के.का.बीकानेर	–
8.	घनश्याम उर्फ पिंटू पुत्र शीशराम	के.का.कोटा	–
9.	जीतू उर्फ जीतमल पुत्र फतेहसिंह	के.का.कोटा	–
10.	सुमित्रा उर्फ सावित्रि पत्नी भागचन्द शर्मा	म.बं.सु.उदयपुर	–
11.	मणिया उर्फ मणिसिंह पुत्र लाला	के.का.अलवर	–
12.	मुकेश मीणा पुत्र बृजमोहन मीणा	के.का.कोटा	–
13.	माधुलाल गमेती पुत्र मांगीलाल गमेती	के.का.अलवर	–
14.	मोहनराम पुत्र डाउराम भील	के.का.उदयपुर	–
15.	मोहम्मद अकरम पुत्र जमीलुदीन	के.का.उदयपुर	–
16.	चन्द्रभान पुत्र रामगोपाल	के.का.कोटा	परिजनों द्वारा बंदी के भरण- पोषण व देखभाल का शपथ- पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
17.	नाथुलाल पुत्र हरिराम	के.का.जोधपुर	–
18.	अनिल उर्फ रंगीला पुत्र नाथुलाल	के.का.जोधपुर	–
19.	भंवरलाल पुत्र मालाराम	के.का.जोधपुर	–
20.	बबलू पुत्र रामकल्याण	के.का.कोटा	–
21.	अमित यादव पुत्र सुखवीर सिंह	के.का.जोधपुर	–

(ब) ऐसे बंदी जो अन्य राज्य के है, जिनकी आयु 25 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक एवं अविवाहित है, को राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (क)(ज)(ड़) के तहत् Ordinarily (साधारणतया) खुले शिविर में भेजे जाने के पात्र नहीं होगें का प्रावधान है। किन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा एस.बी./डी.बी. रिट पिटिशन संख्या 1180/2010 काशीराम बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2010, 8587/2011 गीता देवी बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2011, 19884/2012 सोनू उर्फ रघुवेन्द्र बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2013, 2501/2013 राणा उर्फ बिट्टू उर्फ रवि बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2013, 2883/2013 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2013 एवं 2167/2024 हंसराज पुत्र कल्याण, घनश्याम पुत्र हंसराज बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2025 की पालना में इन दण्डित बंदियों/याचिकाकर्ताओं को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाला हुआ है।

अत: माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में एक प्रकार के प्रकरण में एकरूपता बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा निम्नांकित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	दीपक पुत्र बनवारी लाल	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 224 आईपीसी की सजा पूर्ण होने पर जुर्माना राशि जमा कराये जाने की शर्त पर
2.	मांगीलाल पुत्र वालिया	के.का.बीकानेर	–
3.	रमेश कुमार पुत्र दलवीर	के.का.बीकानेर	–
4.	सुभाष पुत्र बनवारीलाल	के.का.बीकानेर	–
5.	सत्तू उर्फ सत्यनारायण पुत्र श्री बालाजी	के.का.कोटा	–
6.	महेश उर्फ पप्पू पुत्र महावीर	के.का.कोटा	–
7.	गोपाल पुत्र जमनालाल	के.का.बीकानेर	–
8.	मुकेश कुमार पुत्र रामगोपाल	के.का.कोटा	–
9.	हलिया पुत्र वालजी	के.का.उदयपुर	–

2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरणः–

(अ)प्रतिबंधित धारा 376/377 आई.पी.सी./ पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दण्डित होने सेः–

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(घ) के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दण्डित होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गयाः–

क्र.सं.	बंदी नाम	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	मुकेश उर्फ लुच्या उर्फ बिन्टू पुत्र शंकरलाल	के.का. श्यालावास	धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास दण्डित।
2.	हीरानाथ पुत्र धन्नानाथ	जि.का.टोंक	धारा 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल) से दण्डित।
3.	अशोक सिंह पुत्र जब्बर सिंह	के.का.अलवर	धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
4.	निरंजन उर्फ टोटा पुत्र प्रसादीलाल	के.का.अलवर	धारा 5एम/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
5.	महेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह	के.का. श्यालावास	धारा 3/4(ii) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास दण्डित।
6.	असलम पुत्र अब्दुल हमीद	के.का.जोधपुर	धारा 376(3), 376(2)(एन) आईपीसी व 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

7.	गोविन्द लाल पुत्र परबत लाल	के.का.कोटा	धारा 5जी/6 पोक्सो एक्ट में 20 कठोर कारावास से दण्डित।
8.	कालूराम उर्फ कालू पुत्र जयसिंह उर्फ बोबडराम	के.का.अलवर	धारा 5आई/6 पोक्सो एक्ट् में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
9.	अवधेश पुत्र सुभाष शर्मा	के.का.जोधपुर	धारा 5(एल)/6, 5(एन)/6, 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक दण्डित।
10.	रतनलाल उर्फ लाली पुत्र पलटूराम	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
11.	सचिन कुमार पुत्र मामराज	के.का.अलवर	धारा 3/4 पोक्सो एक्ट् में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
12.	ज्योत सिह उर्फ ज्योति पुत्र बलकार सिंह	के.का.श्रीगंगानगर	धारा 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
13.	धर्मेन्द्र पुत्र मुकुट बिहारी	के.का.कोटा	प्रतिबंध धारा 376(2)(j)(l) आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
14.	सुभाष पुत्र पन्नाराम	के.का.बीकानेर	धारा 9(एम)/10 पोक्सो एक्ट में 06 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
15.	पृथ्वीराज पुत्र तेजाराम	के.का.श्रीगंगानगर	धारा 9(एम)/10 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
16.	दरब सिंह पुत्र हरोली	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376डी आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
17.	रमेश प्रजापत पुत्र जोगाराम	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376(2)(F)(G) आईपीसी, 5(M)(N)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं दिनांक 16.05.2026 को तलाशी टीम द्वारा बंदी के बिस्तर के नीचे मोबाईल बरामद होने पर जेल दण्ड से दण्डित।

(ब) राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(ग)(घ)(च)(छ) के प्रावधानों के अंतर्गत जो बंदी फरारी/अन्य प्रतिबंधित धारा/02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित/ जेल दण्ड/ कदाचार(02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं), अन्य विचाराधीन प्रकरण (जमानत नहीं), एन.डी.पी.एस. एक्ट में दण्डित होने आदि कारणों से प्रकरणों पर विचार कर साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से तथा एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-

क्र. सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	विष्णु पुत्र नेकराम	के.का.श्रीगंगानगर	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित, बंदी को दिनांक 02.01.2015 को बंदी खुला शिविर में निकाल गया, बं.खु.शि. जैतसर से दिनांक 02.03.2015 से 11.10.2015 तक फरारशुदा। फरारी प्रकरण धारा 224 आईपीसी में 06 माह का साधारण कारावास से दण्डित। धारा 7,8 पोक्सो एक्ट, 302 आईपीसी में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल) तक दण्डित।
2.	संजय कुमार उर्फ संजू पुत्र हंसराज	के.का. श्यालावास	बंदी द्वारा खुला बंदी शिविर सांगानेर परिसर में शराब पीकर गाली गलौच करने के कारण मुख्यालय कारागार जयपुर के आदेश दिनांक 09.02.2026 द्वारा खुला बंदी शिविर सांगानेर से दिनांक 11.02.2026 को केन्द्रीय कारागृह जयपुर में जेल दाखिल किये जाने के कारण।
3.	ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप	के.का.अलवर	चिकित्साधिकारी द्वारा प्रद्त प्रमाण पत्र एवं अधीक्षक कें.का. अलवर से प्राप्त टिप्पणी के आधार पर बंदी मनोरागी होने के कारण नियम 3(झ) के तहत अपात्र है।
4.	रतनलाल पुत्र उंकार ढोली	के.का.उदयपुर	बं.खु.शि.चितौड़गढ़ से दिनांक 16.06.2026 से 17.06.2026 फरारशुदा।
5.	पालेन्द्र उर्फ पालू पुत्र लालाराम	के.का. श्यालावास	बं.खु.शि.बीछवाल से दिनांक 19.02.2026 से 15.05.2026 तक फरारशुदा।
6.	जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ओमाराम	के.का.जोधपुर	03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (01 मे जमानत नही)
7.	मुकेश पुत्र अशोक	के.का.कोटा	धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट मे 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही)
8.	दिनेश कुमार डागर उर्फ फौजी पुत्र मांगेराम	उ.सु.का.अजमेर	05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन एवं कारागृह में बंदी से निषिद्ध सामग्री (स्मार्ट वॉच) प्राप्त होने पर पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर में दर्ज एफ.आई. आर. संख्या 333/2025 अंतर्गत धारा 42 राजस्थान कारागार अधिनियम 2015 में प्रकरण दर्ज होने के कारण।

9.	दलीप उर्फ दलीपिया पुत्र पूर्णाराम	उ.सु.का.अजमेर	14 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (01 प्रकरण में 8/15,29 एनडीपीएस एक्ट में न्यायिक अभिरक्षा में) होने के कारण।
10.	सूरज पुत्र लादू	के.का.अजमेर	धारा 8/15,8/25,8/29 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास दण्डित।
11.	नीटू पुत्र दलीपसिंह	के.का.बीकानेर	धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
12.	गिरधारी राम पुत्र गंगाराम	के.का.बीकानेर	धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
13.	विष्णु पुत्र बाबुसिंह	के.का.बीकानेर	धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही)।
14.	ओमाराम पुत्र रखाराम छाबा विश्नोई	के.का.अजमेर	धारा 8/18एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास दण्डित।
15.	बबलू उर्फ महेन्द्र पुत्र रामनाथ	के.का.कोटा	धारा 8/15,8/18 एनडीपीएस एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (01 में जमानत नही)
16.	मोहित उर्फ डागा पुत्र नरेश	के.का.श्रीगंगानगर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (01 में ज़मानत नही) एवं प्रतिबंधित धारा 397 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
17.	रूपा पुत्र कमजी	के.का.उदयपुर	बंदी पुलिस अभिरक्षा से दिनांक 20.11.2023 से 27.11.2024 तक फरारशुदा।
18.	अमर सिंह पुत्र करतार सिंह	के.कारा.भरतपुर	प्रतिबंधित धारा 392,397 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
19.	बेगराज पुत्र अर्जुनदास	के.का. श्यालावास	चिकित्साधिकारी द्वारा प्रद्त प्रमाण पत्र एवं अधीक्षक कें.का. अलवर से प्राप्त टिप्पणी के आधार पर बंदी एचआईवी रोग से ग्रसित है तथा मानसिक रोगी होने के कारण नियम 3(झ) के तहत अपात्र है।
20.	प्रभुलाल पुत्र तुलसीराम	के.का.जोधपुर	धारा 8/29 एन.डी.पी.एस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
21.	प्रहलाद सहाय पुत्र धन्ना राम	के.का.जोधपुर	धारा 8/21 एन.डी.पी.एस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
22.	रामविलास पुत्र स्व. केसरा	जि.का.टोंक	धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

23.	कन्हैयालाल पुत्र श्री भैरूबक्ष	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 397/120 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
24.	अमन उर्फ लाला पुत्र आयुब खान	के.का.कोटा	10 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (08 में जमानत नही)।
25.	समीर उर्फ पल्सर पुत्र रफीक	के.का.कोटा	04 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (03 में जमानत नही)।
26.	कृष्ण उर्फ लादेन पुत्र हरचंद	के.का.अलवर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन एवं बं.खु.शि.अलवर में सजा भुगतने के दौरान बंदी मूल सजा प्रकरण के अतिरिक्त अपर सैशन न्यायाधीश संख्या 01 किशनगढ़ बास के एफ.आई.आर. संख्या 27/2024 अंतर्गत धारा 366ए, 354डी, 376(2)(एन), 376डी, 506/120 आईपीसी पुलिस थाना कोटकासिम में गिरफ्तार होकर दिनांक 23.01.2024 को के.का.अलवर मे जेल दाखिल करवाया गया। विगत 02 वर्षो से बंदी का कारागृह में कार्य एवं आचरण संदिग्ध होने के कारण।

(अशोक राठौड़)	(विक्रम सिंह)	(गोविन्द प्रसाद)	(दिलबाग सिंह)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य
महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 25.08.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 25.08.2026** को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री गोविन्द प्रसाद, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री दिलबाग सिंह, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में 02 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
मूलानाथ उर्फ मूलनाथ पुत्र मोहननाथ	के.का.जोधपुर	16728/2026	12.08.2026	18.08.2026
इमरान पुत्र पप्पू	के.का.अलवर	14861/2026	20.08.2026	25.08.2026

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी मूलानाथ उर्फ मूलनाथ पुत्र मोहननाथ, केन्द्रीय कारागृह जोधपुरः-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संख्या 02, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 80/2018 अंतर्गत धारा 376(2)(i)(j) आई.पी.सी. में दिनांक 02.07.2019 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 में विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी प्रतिबंधित धारा

376(2)(i)(j) आई.पी.सी. में दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16728/2026 मूलानाथ उर्फ मूलनाथ बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में आदेश दिनांक 12.08.2026 पारित किया है कि " The petitioner's case is similar to the facts of the decision on which petitioner has placed reliance. Therefore, the impugned order is required to be set aside and remitted back for reconsideration. In the result, the present civil writ petition is allowed and the impugned order of rejection dated 09.09.2025 (Annexure-2) is set aside. The matter is remitted back for fresh consideration. The said exercise shall be done within a period of one month from the date of receipt of a copy of this order. "

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के प्रकरण को डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2823/2025 सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 के समान होना बताया जाकर प्रकरण में पुनर्विचार के निर्देश दिये गये है।

सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा इन्हें कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है। बंदी मूलानाथ उर्फ मूलनाथ पुत्र मोहननाथ को प्रतिबंधित धारा 376(2)(i)(j) आई.पी.सी में न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास सजा से दण्डित किया गया है और वर्तमान स्थिति में बंदी दिनांक 17.08.2026 तक 11 वर्ष 07 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार भुगती ली है और कारागृह में बंदी का आचरण केन्द्रीय कारागृह जोधपुर द्वारा संतोषप्रद बताया गया है।

अत: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16728/2026 मूलानाथ उर्फ मूलनाथ बनाम राजस्थान में जारी आदेश दिनांक 12.08.2026 की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी मूलानाथ उर्फ मूलनाथ पुत्र मोहननाथ** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी इमरान पुत्र पप्पू , केन्द्रीय कारागृह अलवर:-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 03, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 117/2020 अंतर्गत धारा 302, 394, 449 आई.पी.सी. में दिनांक 07.07.2023 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 30.06.2026 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 14861/2026 इमरान बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा याचिका में आदेश दिनांक 20.08.2026 पारित किया है कि " विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा चाही गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए संबंधित सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक माह की अवधि में, याची-बंदी द्वारा खुला शिविर में स्थानांतरण करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 17.07.2026 पर संबंधित नियमों के तहत विचार कर प्रार्थना पत्र को निस्तारित करें एवं प्रार्थना पत्र के निस्तारण की सूचना से बंदी को अवगत कराया जाए। उक्त आदेश की प्रति योग्य लोक अभियोजक को सक्षम अधिकारी को भेजे जाने हेतु प्रदान की जावे तथा विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की प्रति अविलम्ब सक्षम अधिकारी को प्रेषित करें। तदनुसार रिट याचिका व विविध प्रार्थना पत्र, यदि कोई लम्बित हो, तो निस्तारित किये जाते हैं। "

बंदी इमरान को प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी में न्यायालय द्वारा 07 वर्ष कठोर कारावास सजा एवं 10000/- रूपये जुर्माना, अदम अदायगी 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है और वर्तमान स्थिति में बंदी द्वारा दिनांक 25.08.2026 तक 07 वर्ष 02 दिवस की सजा मय परिहार भुगती ली है और कारागृह में बंदी का कार्य व आचरण केन्द्रीय कारागृह अलवर द्वारा संतोषप्रद बताया गया है।

अत: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 14861/2026 इमरान बनाम राजस्थान राज्य में जारी आदेश दिनांक 20.08.2026 की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी इमरान पुत्र पप्पू** को धारा 394 आई.पी.सी में दण्डित जुर्माना राशि जमा कराने की शर्त पर बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

(अशोक राठौड़)	(विक्रम सिंह)	(गोविन्द प्रसाद)	(दिलबाग सिंह)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर